

मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग के लिये बनेंगे कैम्पस एंबेसडर

चर्चा में क्यों?

29 मई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सहि ने कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकायों एवं त्रसितरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2022 के लिये मतदाताओं को मतदान के प्रतजागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा कयि गए नवाचारों की जानकारी देने के लिये 'मतदाता जागरूकता अभियान' प्रारंभ करने का नरिदेश दयिा ।

प्रमुख बडि

- उनहोंने अधिकारियों को 'मतदाता जागरूकता अभियान' के तहत मतदाताओं को प्रेरति/जागरूक करने के लिये स्थानीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से कुछ वदियार्थियों को, जो कनिनेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को कैम्पस एंबेसडर (**Campus Ambassador**) नयिुकुत करने का नरिदेश भी दयिा ।
- कैम्पस एंबेसडर का चयन ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनकी नषिपकष, स्वच्छ एवं गैर-राजनीतिक छवि को चहिनति कर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, उप-कुलपति द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर कयिा जायगा ।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एन.सी.सी./एन.एस.एस. के सहयोग से भी नयिुकुत कर सकते हैं ।
- कैम्पस एंबेसडर का चयन केवल एक शैक्षणिक स्तर के लिये कयिा जायगा । सह-शिक्षा (**Co-Education**) महाविद्यालयों में 2 कैम्पस एंबेसडर (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन कयिा जायगा ।
- कैम्पस एंबेसडर की संबद्धता कसिी भी राजनीतिक दल या उनकी संलग्नता कसिी राजनीतिक गतविधि में नही होनी चाहयि । कैम्पस एंबेसडर के परिवार का संबंध कसिी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतविधि से नही होना चाहयि ।
- कैम्पस एंबेसडर के वरिद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी कसिी भी तरह की शकियत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था प्रमुख तत्काल जाँच कर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे । प्रत्येक कैम्पस एंबेसडर का पुलसि सत्यापन ज़िला प्रशासन द्वारा कयिा जाना अनविर्य होगा ।
- कैम्पस एंबेसडर मतदाताओं को मतदान की प्रकरयिा तथियिों तथा आयोग द्वारा कयि गए वभिनिन नवाचारों आदि की जानकारी देंगे । स्कॉउट-गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना (**NSS**), राष्ट्रीय कैडेट कोर (**NCC**) एवं अशासकीय संगठनों (**NGO**) के साथ समन्वय कर मतदाता जागरूकता में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे ।
- मतदाता जागरूकता अभियान (**SENSE**) की गतविधियिों के संचालन के लिये सक्रयि सदस्यों का एक दल बनाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे ।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी कैम्पस एंबेसडर की नयिुकुत के पश्चात् उन्हें उनकी भूमकिा, दायतिवों, उनके द्वारा कयि जाने वाले कार्यों, गतविधियिों, लक्ष्यों, संभावति उपलब्धियिों तथा कार्ययोजनाओं से अवगत कराएंगे तथा उन्हें संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे । ज़िला निर्वाचन अधिकारी कैम्पस एंबेसडर को मतदाता जागरूकता अभियान कार्य के लिये यथायोग्य सामग्री, मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगे ।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर संपन्न की जाने वाली वभिनिन गतविधियिों का आकलन करेंगे एवं प्रतविदन प्राप्त करेंगे । **SENSE** की गतविधियिों के लिये नयिुकुत कयि गए नोडल अधिकारी समय-समय पर प्रतविदन (फोटोग्राफ्स सहति) आयोग को भेजेंगे ।
- ज़िला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैम्पस एंबेसडर को चहिनति कर उनके नाम की अनुशंसा की जायगी तथा राष्ट्रीय पर्य पर आयोजति समारोह में प्रशस्तपत्र प्रदान कर सम्मानति कयिा जायगा ।